

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत, वारिसलीगंज एवं बखरी।

पटना, दिनांक- 21/11/18

विषय:- नगर पंचायत, वारिसलीगंज एवं बखरी क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक भवन/नगर सरकार भवन के निर्माण हेतु कुल ₹323.71 लाख (तीन करोड़ तेईस लाख एकहत्तर हजार रु०) मात्र की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹134.60 लाख (एक करोड़ चौतीस लाख साठ हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक- 22.10.2013 के मद संख्या 03 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में राज्य के 24 नगर परिषदों एवं 55 नगर पंचायतों में नगर सरकार भवन निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। उत्तर बिहार में स्थित नगर पंचायत में कुल ₹169.56 लाख (एक करोड़ उनहत्तर लाख छप्पन हजार रु०) मात्र तथा दक्षिण बिहार में स्थित नगर पंचायतों में कुल ₹154.15 लाख (एक करोड़ चौवन लाख पंद्रह हजार रु०) मात्र के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु मॉडल प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. उक्त के आलोक में नगर पंचायत, वारिसलीगंज एवं बखरी में प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु योजना स्वीकृत करते हुए सम्पूर्ण राशि विभिन्न राज्यादेशों एवं आवंटनादेशों द्वारा स्वीकृत एवं आवंटित किया जा चुका है। परन्तु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त नगर निकायों में प्रशासनिक भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया तथा संबंधित नगर निकायों द्वारा निकासी की गई राशि कोषागार में जमा कर दी गई।

3. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, वारिसलीगंज के पत्रांक- 86, दिनांक- 27.01.2018 द्वारा नगर पंचायत, वारिसलीगंज में प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु पुनः राशि आवंटित करने की माँग की गई है।

4. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बखरी के पत्रांक- 1991, दिनांक- 30.12.2017 द्वारा नगर पंचायत, बखरी में प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु पुनः राशि आवंटित करने की माँग की गई है।

5. तदनुसार कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, वारिसलीगंज एवं बखरी में प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में सहायक अनुदान के रूप में कुल ₹134.60 लाख (एक करोड़ चौतीस

लाख साठ हजार रु०) मात्र पुनः विभागीय राज्यादेश सं०-.....150 दिनांक-.....21/2/18 के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ- 9 के अनुरूप निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	स्वीकृत राशि	राज्यादेश/ दिनांक	आवंटित राशि	निकासी की गई राशि	अनिकासी/ कोषागार में जमा की गई राशि	नगर निकाय के पास उपलब्ध राशि (5-7)	चालू वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि	योजना हेतु अवशेष राशि {3-(8+9)}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नगर पंचायत, बखरी	169.56000	31/13.11.2013	75.47000	75.47000	75.47000	0.00000	70.00000	99.56000
			63/06.02.2014	47.33000	47.33000	47.33000	0.00000		
			18/24.07.2014	9.43396	9.43396	9.43396	0.00000		
			43/15.09.2014	37.32604	37.32604	37.32604	0.00000		
योग (क)				169.56000	169.56000	169.56000	0.00000	70.00000	99.56000
2	नगर पंचायत, वारसलीगंज	154.15000	31/13.11.2013	75.47000	37.73500	51.80500	23.66500	64.60000	32.78604
			63/06.02.2014	47.33000	23.66500	23.66500	23.66500		
			18/24.07.2014	9.43396	9.43396	0.00000	9.43396		
			43/15.09.2014	21.91604	0.00000	21.91604	0.00000		
योग (ख)				154.15000	70.83396	97.38604	56.76396	64.60000	32.78604
कुल योग (क+ख)				323.71000	240.39396	266.94604	56.76396	134.60000	132.34604

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹134.60 लाख (एक करोड़ चौतीस लाख साठ हजार रु०) मात्र।

6. आवंटित कुल ₹134.60 लाख (एक करोड़ चौतीस लाख साठ हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, वारसलीगंज एवं बखरी होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के तहत एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि के निकासी के पश्चात् राशि का हस्तांतरण कार्यकारी एजेंसी को बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से कर दिया जायेगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

7. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

8. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की

✓

राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

9. आवंटित कुल ₹134.60 लाख (एक करोड़ चौतीस लाख साठ हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष- 0101-नगर पंचायतों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों का निर्माण जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031930101, विषय शीर्ष- 0101.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

10. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जाएगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।

11. “नगर सरकार भवन” के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-

(i) संबंधित नगर निकाय राशि की निकासी कर योजना के कार्यान्वयन हेतु अपने जिला के जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) को उपलब्ध करा देंगे।

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर दिया जाएगा।

(iii) योजनाओं का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।

(iv) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(v) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण- लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(vi) निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत भवन पर एक बोर्ड लगाया जाएगा जिसपर “नगर सरकार भवन” अंकित रहेगा।

12. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। योजनाओं के कार्यान्वयन का त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

13. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4

14. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय एवं नवादा तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

21.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब/नांसु-03-02/2018 151 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 21/3/18

**प्रतिलिपि:-** महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय एवं नवादा/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण कोषांग नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित कोषांगार पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

21.3.18

\* ई-मेल  
स्पीड पोस्ट/निबंधित  
डाक

पत्रांक-2ब०/ना०सु०-03-02/2018 150

/न०वि०एवंआ०वि०

## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

\* अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
बिहार, पटना।

\*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 21/3/18

विषय:- नगर पंचायत, वारिसलीगंज एवं बखरी क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक भवन/नगर सरकार भवन के निर्माण हेतु कुल ₹323.71 लाख (तीन करोड़ तेईस लाख एकहत्तर हजार रु०) मात्र की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹134.60 लाख (एक करोड़ चौतीस लाख साठ हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक- 22.10.2013 के मद संख्या 03 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में राज्य के 24 नगर परिषदों एवं 55 नगर पंचायतों में नगर सरकार भवन निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। उत्तर बिहार में स्थित नगर पंचायत में कुल ₹169.56 लाख (एक करोड़ उनहत्तर लाख छप्पन हजार रु०) मात्र तथा दक्षिण बिहार में स्थित नगर पंचायतों में कुल ₹154.15 लाख (एक करोड़ चौवन लाख पंद्रह हजार रु०) मात्र के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु मॉडल प्राकलन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. उक्त के आलोक में नगर पंचायत, वारिसलीगंज एवं बखरी में प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु योजना स्वीकृत करते हुए सम्पूर्ण राशि विभिन्न राज्यादेशों एवं आवंटनादेशों द्वारा स्वीकृत एवं आवंटित किया जा चुका है। परन्तु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त नगर निकायों में प्रशासनिक भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया तथा संबंधित नगर निकायों द्वारा निकासी की गई राशि कोषागार में जमा कर दी गई।

3. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, वारिसलीगंज के पत्रांक- 86, दिनांक- 27.01.2018 द्वारा नगर पंचायत, वारिसलीगंज में प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु पुनः राशि आवंटित करने की माँग की गई है।

4. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बखरी के पत्रांक- 1991, दिनांक- 30.12.2017 द्वारा नगर पंचायत, बखरी में प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु पुनः राशि आवंटित करने की माँग की गई है।

u

5. तदनुसार कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, वारिसलीगंज एवं बखरी में प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में सहायक अनुदान के रूप में कुल ₹134.60 लाख (एक करोड़ चौतीस लाख साठ हजार रु०) मात्र की पुनः स्वीकृति निम्न तालिका के स्तम्भ- 9 के अनुरूप निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	स्वीकृत राशि	राज्यादेश/ दिनांक	आवंटित राशि	निकासी की गई राशि	अनिकासी/ कोषागार में जमा की गई राशि	नगर निकाय के पास उपलब्ध राशि (5-7)	चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि	योजना हेतु अवशेष राशि {3-(8+9)}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नगर पंचायत, बखरी	169.56000	31 / 13.11.2013	75.47000	75.47000	75.47000	0.00000	70.00000	99.56000
			63 / 06.02.2014	47.33000	47.33000	47.33000	0.00000		
			18 / 24.07.2014	9.43396	9.43396	9.43396	0.00000		
			43 / 15.09.2014	37.32604	37.32604	37.32604	0.00000		
योग (क)				169.56000	169.56000	169.56000	0.00000	70.00000	99.56000
2	नगर पंचायत, वारिसलीगंज	154.15000	31 / 13.11.2013	75.47000	37.73500	51.80500	23.66500	64.60000	32.78604
			63 / 06.02.2014	47.33000	23.66500	23.66500	23.66500		
			18 / 24.07.2014	9.43396	9.43396	0.00000	9.43396		
			43 / 15.09.2014	21.91604	0.00000	21.91604	0.00000		
योग (ख)				154.15000	70.83396	97.38604	56.76396	64.60000	32.78604
कुल योग (क+ख)				323.71000	240.39396	266.94604	56.76396	134.60000	132.34604

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹134.60 लाख (एक करोड़ चौतीस लाख साठ हजार रु०) मात्र।

*इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।*

6. स्वीकृत कुल ₹134.60 लाख (एक करोड़ चौतीस लाख साठ हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, वारिसलीगंज एवं बखरी होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के तहत एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि के निकासी के पश्चात् राशि का हस्तांतरण कार्यकारी एजेंसी को बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से कर दिया जायेगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

7. चूंकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

8. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

9. स्वीकृत कुल ₹134.60 लाख (एक करोड़ चौतीस लाख साठ हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष- 0101-नगर पंचायतों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों का निर्माण जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031930101, विषय शीर्ष- 0101.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

10. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जाएगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।

11. “नगर सरकार भवन” के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-

(i) संबंधित नगर निकाय राशि की निकासी कर योजना के कार्यान्वयन हेतु अपने जिला के जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) को उपलब्ध करा देंगे।

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर दिया जाएगा।

(iii) योजनाओं का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।

(iv) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(v) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण- लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत भवन पर एक बोर्ड लगाया जाएगा जिसपर “नगर सरकार भवन” अंकित रहेगा।

12. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। योजनाओं के कार्यान्वयन का त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

*ba*


13. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

14. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/ना०सु०-03-02/2018 के पृष्ठ सं०-.....14...../टि० पर दिनांक- 20-3-2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....14...../टि० पर दिनांक- 20-3-2018 को प्राप्त है।

15. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

16. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय एवं नवादा/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, वारिसलीगंज एवं बखरी तथा अन्य को भी दी जा रही है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,



सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब/ना०सु०-03-02/2018 150 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 21/3/18

**प्रतिलिपि:-** संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय एवं नवादा/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, वारिसलीगंज एवं बखरी/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण कोषांग नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव।

